मै0 उमा शंकर शर्मा द्वारा प्रस्तावित सेन्डस्टोन माइन्स, (खनन पट्टा संख्या 64/89, क्षेत्रफल 24.9 हैक्टेयर), निकट ग्राम– भिरामंद, तहसील – बसेडी, जिला – धौलपुर, (राजस्थान) की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता/आर.ओ.एम – 1,25,000 टन प्रतिवर्ष, प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2023 का कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना, क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 एवं Office Memorandum No. J-11015/387/2008-I A.II (m) dated 28th Sep. 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत मै0 उमा शंकर शर्मा द्वारा प्रस्तावित सेन्डस्टोन माइन्स, (खनन पट्टा संख्या 64/89, क्षेत्रफल 24.9 हैक्टेयर), निकट ग्राम– भिरामंद, तहसील – बसेडी, जिला – धौलपुर (राजस्थान) की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता/आर.ओ.एम – 1,25,000 टन प्रतिवर्ष, प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में श्री मुकेश कुमार मीणा, कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी, बसेडी (जिला कलक्टर, धौलपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में दिनांक 06.02.2023 को प्रातः 11.00 बजे ग्राम पंचायत मुख्यालय– खुर्दिया, तहसील – बसेडी, जिला – धौलपुर (राजस्थान) में लगे हुए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय–खुर्दिया के खाली कमरे में जन सुनवाई आयोजित की गई (वर्तमान में ग्राम पंचायत–खुर्दिया, ग्राम खुर्दिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में स्थापित है)।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट– 'क' पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 04.01.2023 को हिन्दुस्तान एक्सप्रेस तथा 05.01.2023 को दैनिक नवज्योति, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट– 'ख' पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई, मै0 उमा शंकर शर्मा द्वारा प्रस्तावित सेन्डस्टोन माइन्स, (खनन पट्टा संख्या 64/89, क्षेत्रफल 24.9 हैक्टेयर), निकट ग्राम– भिरामंद, तहसील – बसेडी, जिला – धौलपुर, (राजस्थान) की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता/आर.ओ.एम – 1,25,000 टन प्रतिवर्ष, प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है।

श्री विवेक गोयल ने उपखण्ड अधिकारी, बसेडी (धौलपुर) एवं पधारे हुये समस्त ग्रामवासियों का अभिनंदन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है, साथ ही परियोजना से पर्यावरण के संरक्षण संबंधित जनमानस की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो

जाते है। श्री विवेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन, मौखिक एवं लि... से अपनी आपत्तियां, सुझाव अथवा राय दे सकते है।

तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, बसेडी की अनुमति से इकाई के तकनीकी परामर्शदाता श्री ... कुमार शर्मा द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत प्र... किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश के बारे में बताते हुए स्पष्ट ... पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खदान परियोजना प्रस्तावक द्वारा ... प्रकार परियोजना का विकास किया जायेगा।

तदुपरांत क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं ... पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने ... आमंत्रित किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है,

सर्वप्रथम श्री रामदास जी, निवासी ग्राम भिरामंद व तहसील बसेडी जिला धौलपुर द्वारा ... जाहिर करते हुये बताया कि उक्त परियोजना से ग्राम में कोई विकास नहीं होगा तथा परि... प्रस्तावक द्वारा पूर्व में किये गये खनन कार्य से (पट्टा जिसका प्रस्तावक द्वारा अभ्यर्पण कर ... गया है) 38 खातेदारों की लगभग 250–300 बीघा भूमि को नुकसान हुआ है तथा प्रस्तावक ... खनन उपरान्त भूमि के गढ्ढों को बिना मलबे से भरे व समतल किये बिना ही छोड दिया ... और वर्तमान में उक्त भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जा सकता है व ... सम्बन्धित उनके द्वारा लिखित रूप से भी आपत्ति दर्ज कराई गई (परिशिष्ट–'ग')। ... बताया कि खनन से गॉव के मवेशियों के लिए चारा का संकट तथा आवागमन मार्ग में ... उत्पन्न हो गई है। उन्होंने अधिकारियों से स्थल का मौका निरीक्षण करने का भी आग्रह ... उनके द्वारा बताया कि गॉव भिरामंद में सिलिकोसिस बीमारी भी प्रायः रहती है तथा प्रस्ताव... द्वारा आज दिनांक तक श्रमिकों के समुचित इलाज की व्यवस्था तथा स्थानीय विकास ... धनराशि का व्यय नहीं किया गया है।

इसके प्रत्युत्तर में तकनीकी परामर्शदाता श्री उमेश कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि श्री ... शंकर (परियोजना प्रस्तावक) के पास खान और भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार सन 1990 में ... आवंटित पट्टा (वैधता वर्ष 2030) को ही खनन प्रयोजनार्थ में लिया गया तथा पूर्व में इस ... परियोजना का क्षेत्रफल ज्यादा था (894.2 हेक्टेयर) जिसे समय–समय पर सरकार को अभ्यर्पित ... किया जा चुका है व वर्तमान में सिर्फ 24.9 हेक्टेयर भूमि ही खनन प्रयोजनार्थ हेतु रखी गई है। ... उन्होंने बताया कि रामदास जी द्वारा आपत्ति में बताई गई भूमि सरकार की है, तथा खान एवं ... भूविज्ञान विभाग, द्वारा जारी पट्टे की शर्तों अनुसार पट्टा की वैधता खत्म होने से पहले भूमि को ... मलबे से ढकने उपरान्त समतल करवा दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित परियोजना में ... सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत धन राशि का आवंटन किया गया है जिसमें परिवहन मार्ग रख भी ... रख रखाव शामिल हैं तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में ... रखा जाएगा तथा परियोजना के लिए जारी होने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तो ... का अक्षरशः अनुपालना की जायेगी तथा प्रस्तावक द्वारा अनुपालना रिपोर्ट संबंधित को समय ... समय पर प्रेषित की जायेगी।

तत्पश्चात् श्री भंवर सिंह जी, निवासी ग्राम भिरामंद व तहसील बसेडी जिला धौलपुर ने आपत्ति जाहिर करते हुये बताया कि वह कृषक पृष्ठ भूमि से आते है तथा क्षेत्र एक गोचर क्षेत्र है। उन्होंने रामदास जी द्वारा जाहिर आपत्ति का समर्थन करते हुये बताया कि 250 बीघा भूमि खनन से बुरी तरह से प्रभावित हुई है तथा भूमि से सम्बन्धित परिवार की विधवा महिलाये परेशान है और उनकी आजीविका संकट में हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावक द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत स्थानीय विकास हेतु कोई भी योगदान नहीं दिया गया है तथा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य भी नहीं किया गया है।

श्री रामेश्वर दयाल जी निवासी ग्राम खिन्नौट व तहसील बसेडी जिला धौलपुर द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया कि खनन से प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, सिंचाई, परिवहन आदि पर प्रस्तावक द्वारा डी.एम.एफ.टी. फण्ड से कोई व्यय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से खनन नहीं हो रहा है तथा खनन से निकले मलवे को ढका नहीं जा रहा है और खनन से जनित धूल के कारण ग्रामीणों में सिलिकोसिस बीमारी होने का खतरा बना रहता हैं। उन्होंने बताया कि खनन परियोजना से संबंधित विभागों द्वारा कोई भी समुचित कार्यवाही नहीं की गयी है तथा खनन पट्टे पर खान और भूविज्ञान विभाग के नियमानुसार पिलर नहीं लगे है जिससे कि पट्टे का सीमा रूपांकन हो सकें। उन्होंने बताया कि खान के आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है तथा आस पास के नदी नाले भी प्रदूषित हो रहे है। उनके द्वारा बताया गया कि खनन के लिए विस्फोटको का उपयोग किया जा रहा है जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता है और ग्राम वासियों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा हैं।

तत्पश्चात् श्री रामनाथ जी निवासी ग्राम भिरामंद व तहसील बसेडी जिला धौलपुर तथा श्री द्वारिक जी निवासी ग्राम भिरामंद व तहसील बसेडी जिला धौलपुर द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया कि परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जाये। उपखण्ड अधिकारी, बसेडी द्वारा आपत्ति का कारण पूछने पर दोनों व्यक्तियों ने पूर्व के व्यक्तियों द्वारा दर्ज आपत्तियों का होना बताया।

श्री बन्ने सिंह जी निवासी ग्राम भिरामंद व तहसील बसेडी जिला धौलपुर ने आपत्ति दर्ज किया गया कि 38 खातेदारों की खनन से प्रभावित भूमि को पहले समतल किया जावे तथा उनके द्वारा इससे संबंधित लिखित रूप से भी आपत्ति दर्ज की गई (परिशिष्ट–"घ")

श्री बंशी गोस्वामी जी निवासी ग्राम भिरामंद व तहसील बसेडी जिला धौलपुर द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया कि पहले प्रस्तावित खनन पट्टे का सीमांकन हो जिससे कि पट्टे का भौतिक सत्यापन हो सकें।

उपखण्ड अधिकारी, बसेडी द्वारा ग्राम सरपंच श्री प्रेमलाल सिंह जी निवासी ग्राम भिरामंद व तहसील बसेडी जिला धौलपुर से परियोजना सम्बन्धित राय व्यक्त करने को कहा, जिसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बसेडी द्वारा जनसुनवाई में अधिकतर समस्याएं खान और [illegible] से संबंधित होना बताया तथा संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के उपस्थित नहीं [illegible] नाराजगी व्यक्त की।

तदुपरांत कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी ने [illegible] धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित जन को आश्वस्त किया [illegible] रिकॉर्ड किये गये हैं। आपके विचार व सुझाव/आपत्तियाँ सभी सम्मिलित कर [illegible] जायेंगी, जिस पर समग्र बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही खदान को पर्यावरण स्वीकृति [illegible] निर्णय लिया जा सकेगा।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर तथा उपखण्ड अधिकारी [illegible] ने पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस परियोजना के बारे में [illegible] या शिकायत हो तो बैठक को अवगत कराये। अंत में क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण [illegible] बोर्ड, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुये [illegible] साथ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, बसेडी की अनुमति से पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्ति [illegible] घोषणा की गई।

(विवेक गोयल)
क्षेत्रीय अधिकारी
र.प्र.नि.मं., भरतपुर (राज.)

(मुकेश कुमार [illegible])
कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी, [illegible]
जिला–धौलपुर (राज.)